


**कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**  
प्रथम तल, टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी-2, दूरदर्शन रोड, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002  
फोन 0755-2660441 ई-मेल आईडी dtehelpcenter@mponline.gov.in | dte4.academic@mp.gov.in

क्रमांक:- 4/शैक्ष./बी/2019/काउं./ 933.

भोपाल, दिनांक 03/07/2019

**आवश्यक सूचना**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 02-07-2019 द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (EWS) को 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। आदेश के परिपालन में संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ऑनलाईन ऑफ़-कैम्पस काउंसलिंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान सम्मिलित किया जाना है। अतः बी.ई. एवं पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की जारी की जाने वाली आवंटन प्रक्रिया को स्थगित करते हुए संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित किये जा रहे अन्य सभी पाठ्यक्रमों में भी उक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाकर संशोधित कार्यक्रम जारी किये जा रहे हैं। इच्छुक विद्यार्थी पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में EWS का प्रमाण पत्र तैयार करवाकर आवश्यक कार्यवाही संपादित करें।

  
[प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार]  
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं  
संचालक तकनीकी शिक्षा,  
मध्यप्रदेश

(सामान्य प्रशासन विभाग का जापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019  
का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....

दिनांक.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस.....थाना.....

तहसील..... जिला..... राज्य.....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
- II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
- III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
- IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी.....जाति..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का  
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार